यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** के माह 02/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **शरत** श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 08.08.2017 से 17.08.2017 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री** गोविन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री जी0के0बत्रा सुपरवाइजर द्वारा दिनांक 08.02.2016 से 04.03.2016 तक श्री नीरज चिरंगू व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 06/2013 से 01/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 06/2013 से 01/2016 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गयी । वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 02/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र**: वनीकरण एवं वृहत एवं लघु निर्माण कार्य

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1881.48
2015-16	2364.79
2016-17	3365.66

(ii)(ब) बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)		
2014-15	---	---	1396.71	1321.74	2858.27	2858.07	---	0.02
2015-16	----	----	1467.34	1440.78	6855.99	6850.49	----	5.50
2016-17	-----	-----	1531.44	1508.78	5023.88	5013.47	-----	10.41

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ धक्य
2014-2015	13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण	00	113.85 लाख	113.85 लाख	------	-----
	हाथी परियोजना	00	6.66 लाख	6.66 लाख	------	-----
	इंटेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	00	4.46 लाख	4.46 लाख	------	-----
2015-16	हाथी परियोजना	00	2.95 लाख	2.95 लाख	------	-----
	इंटेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	00	14.70 लाख	14.70 लाख	------	-----
	उत्तराखण्ड वन संसाधन जायका	00	6500.00 लाख	6500.00 लाख	------	-----
2016-17	हाथी परियोजना	00	10.84 लाख	10.84 लाख	--------	---
	इंटेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	00	14.66 लाख	14.66 लाख	------	-----
	उत्तराखण्ड वन संसाधन जायका	00	4750.00	4750.00	------	-----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

1. वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः **प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी**

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह **03/2017** एवं **03/2016** को वस्तृत जांच एवं अंकगणितीय जॉच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह **03/2017** एवं **03/2016** को वस्तृत जांच एवं अंकगणितीय जॉच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर– 1 वभाग एवं शासन की उदासीनता के कारण ` **33.62** करोड़ के राजस्व की वसूली न होना।

केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को उत्तर प्रदेश के आदेश सं0–8640/xiv-558/1954 दिनांक 22.9.1957 द्वारा देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत 136.089 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण 10 वर्ष के लिये दिनांक 10.06.55 से आरम्भ होते हुये किया गया। इस भू–हस्तान्तरण के लिये कुल ` 1.00 प्रतिवर्ष की धनराशि लीज रेण्ट के रूप में निर्धारित की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या– 2951/xi-v-B-558/59 दिनांक 10.07.1967 के द्वारा 20 वर्ष के अवधि के लिये अर्थात 10.061985 तक के लिये उक्त लीज का नवीनीकरण कुल ` 1.00 प्रतिवर्ष के लीज रेण्ट पर किया गया। तदोपरान्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 जी0आई0168/7–1–2000–800/199 दिनांक 24.01.2001 द्वारा दिनांक 01.07.1985 को लीज नवीनीकरण की प्रारम्भिक तिथि मानते हुये 30 वर्षो के लिये नवीनीकरण प्रदान किया गया। जिसमें प्रश्नगत लीज को व्यवसायिक उपयोग की भांति मानते हुये वर्तमान बाजार दर x लीज अवधि/99 रूपये प्रर–रेटा मूल्य का प्रीमियम निर्धारित कर दिया गया था जो निम्नानुसार था–

वन भूमि के मूल्य के बराबर प्रीमियम : ` 8,40,70,000
वर्ष 1885–86 से 30 वर्षो तक प्रीमियम का 10प्रतिशत किराया ` 25,22,10,000
योग– ` 33,62,80,000

उक्त लीज रेण्ट को जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा संस्थान को समय समय पर पत्र लिखा गया था । किन्तु संस्थान द्वारा न तो लीज रेण्ट को जमां किया गया । और न ही जून .2015 को लीज अवधि समाप्त होने के बाद संस्थान द्वारा नवीनीकरण कराया गया । जिसका नवीनीकरण वर्तमान तक लम्बित था।

दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वभाग एवं शासन द्वारा लीज के निरस्त अथवा नवीनीकरण का कोई निर्णय न कए जाने से ` 33.62 करोड **राजस्व की वसूली नहीं हो सकी है। उक्त को इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क वर्ष** 2015 में लीज अवधि समाप्त होने पर संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया, किन्तु संस्थान पर पिछला रेन्ट जमा/शासन स्तर से माफ किये बिना आनलाईन पोर्टल पर लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पायेगा। **प्रकरण** पर **वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क** लीज का प्रकरण काफी पुराना है जिस पर त्वरित निर्णय की अपेक्षा थी तथापि लगभग दो वर्ष व्यतीत हो जाने के

बावजूद विभाग एवं शासन के निर्णय **लए जाने** में विलम्ब के **कारण** न तो ` 33.62 करोड के **राजस्व की वसूली हो सकी** और न ही दो वर्ष व्यतीत हो जाने के **पश्चात** नवीनीकरण की कार्यवाही हो सकी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर–2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1302.868 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव का लम्बित होना

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगायी जाती है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष नई दिल्ली में जमा करायी जाती है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित पत्रावली एवं अन्य अभिलेखों के निरीक्षण में पाया कि वर्ष 2004 से 2015 तक विभिन्न विकास परियोजनाओ के निर्माण हेतु वन भूमि याचक विभाग को हस्तान्तरित की गयी जिसके सापेक्ष याचक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा की गयी किन्तु वन विभाग द्वारा गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण नही कराया गया (संलग्नक–1 के अनुसार) । जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1302.868 हेक्टेयर भूमि वर्तमान तक लम्बित थी।

इस सम्बन्ध में विभाग को इंगित किये जाने पर **अवगत कराया गया क वृक्षारोपण** हेतु वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किये गये है तथा उप खनिज चुगान मद हेतु 1325 हे0 के सापेक्ष प्रथम चरण में 502 हे0 क्षेत्र में रोपण किया जा चुका है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संलग्नक–1 के अनुसार वर्ष 2004 से 2015 तक 1302.868 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सापेक्ष मात्र एक मद उप खनिज चुगान में वृक्षारोपण किया जाना कैम्पा की नियमावली में दिये गये उद्देश्य के विपरीत था।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1302.868 हे0 हेक्टेयर भूमि के लम्बित प्रस्ताव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक–1

प्रस्ताव का नाम	वर्ष	हस्तान्तरित भूमि (हे0 में)	क्षतिपूरक वृक्षारोंपण की भूमि (हे0 में)	जिले का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्थिति
ले0नि0वि0– कण्डोली गांव से नन्दा चौकी–भाउवाला मोटर मार्ग लम्बाई 2 किमी0 2	2004	1.215	2.43	विकास नगर	प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग
लेा0नि0वि0 प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत मोथरोवाला से दूधली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2005	3.48	6.96	देहरादून	प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग
राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान संगठन प0म0कार्या0भा0स0–जॉलीग्रान्ट हवाई अड्डा के समीप प्र0म0कार्या0 के एबीएशन का निर्माण	2006	8.00	16.00	देहरादून	प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग
लो0नि0वि0–लम्बीधार–भितरली–किमाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2007	3.60	7.20	डोईवाला	प्रस्तावित देहरादून वन प्रभाग
लेा0नि0वि0 भानियावाला थानो रायपुर मार्ग से जॉलीग्रान्ट एअरपोर्ट के टर्मिनल भवन तक चार लेन मार्ग का निर्माण	2009	0.77	1.57	डोईवाला	मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित
लेा0नि0वि0 भानियावाला थानो रायपुर मार्ग से जॉलीग्रान्ट एअरपोर्ट के टर्मिनल भवन तक दो लेन मार्ग का निर्माण	2010	1.71	3.42	डोईवाला	मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित
ले0नि0वि0 जन्तनवाला झाडीवाला हल्दूवाला मार्ग का पुर्ननिर्माण तथा नदी पर स्टील गार्टर का निर्माण कार्य	2010	1.35	2.70	विकासनगर	देहरादून में प्रस्तावित
ले0नि0वि देहरादून में ऋषिकेश डोईवाला मोटर मार्ग किमी0 16 से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के ट्मिर्नल भवन तक दो लेन मार्ग का चार लेन में विस्तारी करण	2013	1.20	2.40	देहरादून	का0भू0सं0वन प्रभाग
ले0नि0वि0 सुद्वोवाला पॉलिटेक्निक से भद्रकाली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2011	4.50	9.00	विकासनगर	का0भू0सं0वन प्रभाग

ले0 नि0वि0 मझौन खराखेत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2011	2.03	4.05	विकासनगर	मसूरी वन प्रभाग
ले0 नि0 वि0 रा0रा0मा0सं0–58 के कि0सं0–209 से 218.20 तथउा रा0मा0–72 के कि0सं0–165 से 196.20 तक सडक चौडीकरण	2011	80.633	161.266	डोईवाला	क्वलसी भू0व0सं0 वन प्रभाग के अधीन प्रस्तावित
एस0डी0आर0एफ0–राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु मुख्यालय का निर्माण कार्य	2015	23.00	46.00	डोईवाला	क्वलसी भू0व0सं0 वन प्रभाग के अधीन प्रस्तावित
देहरादून बागपत 400 के0बी0टांसमिशन लाईन हेतु पावर ग्रिड को 35 वर्षो की लीज	2015	38.32	115.32	डोईवाला	देहरादून में प्रस्तावित
जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप विस्थापितो का पुर्नवास	2006	12.15	25.00	देहरादून	क्वलसी भू0सं0वन प्रभाग में
थानो रेज में होम गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना	2015	5.00	10.00	चकराता	क्सलयी भू0सं0वनप्रभाग में
हिमालय गंगा पर आधारित संग्रहालय का निर्माण	2015	1.00	2.00	देहरादून	देहरादून में प्रस्तावित
कॉमर्शियल टैक्स बिल्डिंग ऋषिकेश	2007	1.003	2.006	देहरादून	देहरादून में प्रस्तावित
घमण्डपुर नालू में कॉजवे का निर्माण	2009	1.650	3.12	देहरादून	देहरादून में प्रस्तावित
भानियावाला रायपुर से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट टर्मिनल भवन तक मो0मा0	2010	1.710	3.042	देहरादून	मसूरी वन प्रभाग
उपखनिज चुगान हेतु अनुमति सौंग–1व 2		1325.00	823.00	देहरादून	अवशेष रोपण देहरादून में प्रस्तावित
ले0नि0वि0घारकोट तंगोली बढेरना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2006	3.90	7.80	डोईवाला	देहरादून वन प्रभाग में प्रस्तावित
राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान संगठन प0म0कार्या0भा0स0–जॉलीग्रान्ट हवाई	2006	8.00	16.00	विकासनगर	देहरादून वन प्रभाग में

अड्डा के समीप प्र0म0कार्या0 के एबीएशन का निर्माण					प्रस्तावित
ले0नि0वि0 लम्बीधार भितरली किमाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2007	3.60	7.20	डोईवाला	देहरादून वन प्रभाग में प्रस्तावित
ले0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 72 के किमी सं0 175 लच्छीवाला आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु	2009	3.87	7.74	डोईवाला	देहरादून वन प्रभाग में प्रस्तावित
रेशम निदेशालय शहतूत उद्यान की स्थापना हेतु	2010	2.008	4.02	विकासनगर	देहरादून प्रभाग में प्रस्तावित
ले0नि0वि0 प्रखण्ड जन्तनवाला एवं धौलास के मध्य नून नदी पर मो0मा0एवं विपाशना सेन्टर तक मा0का निर्माण	2013	2.45	4.89	देहरादून	मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित
ग्राम सभा पंचायत सिंधववाल गांव को थानो से जोडने वाले मोटर मार्ग में पुल के निर्माण हेतु	2015	1.7828	3.5658	देहरादून	मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित
ऋषिकेश डोईवाला मोटर मार्ग के किमी016 से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के एप्रोच हेतु दो लेन मार्ग का निर्माण	2015	1.20	2.40	देहरादून	कालसी भूमि संरक्षण
जनपद देहरादून में तरली कण्डोली से गुरूक्षरा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु	2014	0.7840	2.774	देहरादून	मसूरी वन प्रभाग में प्रस्तावित
कुल क्षतिपूरक वृक्षारोपण			1302.868		

STAN-1

कार्यालय की माह 2017 की त्रैमासिक 20 प्रपत्र की सूचना के प्रपत्र 9 के अनुसार वर्ष 2016–17 के चतुर्थ त्रैमास तक अवशेष बकाया `8.80 करोड था। जिसमें जमनात का बकाया `19940/–, जिलाधिकारी के माध्यम से बकाया ` 76329/– तथा वन विकास निगम के विरूद्व 8.77 करोड की धनराशि बकाया थी।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्ववारा अवगत कराया गया कि उक्त बकाये के सम्बन्ध में सम्बन्धितों को पत्र लिखा गया था। जिस पर वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

इस प्रकार सम्बन्धितों के विरूद्व ` 8.80 करोड की बकाया धनराशि की वसूली किया जाना अवशेष था। जिसका प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

व्यय

भाग 2 ब

प्रस्तर सं0 – 03 मानव वन्य संघर्ष राहत वितरण के अन्तर्गत जानमाल की क्षतिपूर्ति में ` 25.64 लाख की लम्बित राशि।

मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली–2012 के अनुसार मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में जानमाल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु राज्य सरकार के बजट, केन्द्रीय सरकार की सहायता, कैम्पा योजना, वन निगम से अनुदान, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न संस्थाओं आदि से इस उद्देश्य हेतु प्राप्त राशि को निधि में संचित किया जाना था। अभिलेखो के निरीक्षण में यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में मानव क्षति, पशु क्षति , भवन क्षति एवं फसल क्षति के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की स्थिति निम्नलिखित थी जिनका भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना अवशेष था। जबकि प्रभाग स्तर पर ` 6.69 लाख की राशि वर्तमान तक अवशेष पडी हुयी थी।

वर्ष	मानव क्षति		पशु क्षति		भवन क्षति		फसल क्षति	
	सं0	धनराशि	सं0	धनराशि	सं0	धनराशि	सं0	धनराशि
2015–16	00	00	34	440500	18	135730	195	619742
2016–17	03	480366	14	249000	24	120001	151	519535
कुल	03	480336	48	689500	32	255731	346	1139277

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछे जाने पर बताया गया कि पीडितों को भुगतान की कार्यवाही गठित समिति द्वारा ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ळें

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय

भाग 2–ब

प्रस्तर 04 – डी0सी0एल0 में राशि ` 279.15 लाख लम्बित रहने के सम्बन्ध में।

वन जमा में जमा धनराशि का उपयोग निर्धारित कार्यो में शीघ्रताशीध्र करके कार्यो का समयबद्व संपादन कर लेना चाहिये। वन जमा से संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2000–2001 से 2007–08 तक ` 240.97 लाख की धनराशि वन जमा में लम्बित पडी थी। जिस पर वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 13/ आ0प्र0xxvii/(14)/2008 05.01.2009 के अनुसार डी0सी0एल0 की निकासी पर रोक लगा दी गयी थी। जिस पर व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग से पुर्नवैध करवाना आवश्यक था। आगे यह भी पाया गया कि ` 35.41 लाख कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त ब्याज की राशि तथा जैट्रोफा वनीकरण की अवशेश राशि ` 0.82 लाख तथा राष्ट्रीय बांस रोपण क्षेत्रों के मूल्यांकन कार्य हेतु अवशेष राशि ` 1.95 लाख वन जमा में पडी हुयी थी। जिसको समय पर उपयोग न कर सकने पर राजकोष में जमा कर दिया जाना था।

वन जमा में लम्बित राशियों के सम्बन्ध में पूछने पर इकाई द्वारा बताया गया कि डी0सी0एल0 में जमा राशि को पुर्नवैध कराने हेतु शासन स्तर से अनुरोध किया गया है। कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त ब्याज की राशि को उन्ही कार्यो पर व्यय करने की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है तथा जैट्रॉफा और राष्ट्रीय बांस रोपण क्षेत्रों के मूल्यांकन कार्य हेतु अवशेष राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक मूल्यांकन एवं आडिट के निर्देश के पश्चात कार्यवाही कर दी जायेगी ।

अतः इकाई का उत्तर स्वतः इंगित करता है कि उच्च स्तर के निर्देश के अभाव में डी0सी0एल0 में राशि ` 279.15 लाख लम्बित पडी हुयी थी। जिस पर उचित कार्यवाही होना शेष था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
04/2003 से 05/2005	1	--
06/2005 से 03/2006	2	---
04/2006 से 07/2009	1	4
08/2009 से 07/2010	1	1
08/2010 से 01/2012	---	1
02/2012 से 05/2013	---	4
06/2013 से 01/2016	3	8

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः अनुपालन आख्या प्रभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयभ्

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

(i) सतत् अनिय मतताएः शून्य

1. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**श्री** प्रसन्न कुमार पात्रो	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून** को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी